रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022020-216082
CG-DL-E-11022020-216082

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2020/माघ 21, 1941
No. 42] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2020/MAGHA 21, 1941

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**

**जांच की शुरुआत की अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2020

**(एमटीआर मामला संख्या 01/2020)**

**विषयः चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कुछ फ्लोट ग्लास और उसकी वस्तुओं पर लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के उत्पाद क्षेत्र की समीक्षा के लिए मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत।**

1. **फा. सं. 07/04/2020-डीजीटीआर.—1.** महालक्ष्मी डाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे"याचिकाकर्ता"अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) ने "एक्स्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास" (जिसे यहां आगे "ईसीएफजी" अथवा "समीक्षाधीन उत्पाद" कहा गया है) को चीन जन. गण. (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लोट ग्लास के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्राधिकार से अलग करने की मांग करते हुए मध्यावधि समीक्षा का आवेदन पत्र दायर किया है। चीन जन. गण. से ईएफसीजी पर पाटनरोधी शुल्क वर्तमान में 08 सितंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 47/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया है और पाटनरोधी शुल्क 07 सितंबर, 2020 तक लागू है।

**पृष्ठभूमि**

2. प्राधिकारी ने 05 जुलाई, 2002 की जांच की शुरूआत की अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कतिपय फ्लोट ग्लास" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की। प्राधिकारी द्वारा 20 नवंबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी द्वारा प्राथमिक जांच परिणाम जारी किये गये थे और केंद्र सरकार द्वारा 07 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 7/2003-सीमा शुल्क द्वारा अनंतिम शुल्क लगाये गये थे। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम 22 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी द्वारा जारी किये गये थे जिसमें चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से "क्लीयर तथा टिंटेड वैरायटी (ग्रीन ग्लास को छोड़कर) के 2 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर मोटाई के फ्लोट ग्लास (दोनों मोटाई सहित), परंतु उनमें सजावटी, औद्योगिक अथवा स्वचालित प्रयोजनों के लिए बने रिफ्लैक्टिव ग्लास, प्रसंस्कृत ग्लास शामिल नहीं हैं" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया और अनंतिम शुल्क लगाये जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए 12 नवंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 165/2003-सीमा शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगायें।

3. उपर्युक्त शुल्क की समाप्ति से पहले घरेलू उद्योग से एक आवेदन पत्र के आधार पर प्राधिकारी ने एक पहली निर्णायक समीक्षा की। जांच करने पर प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हुए दिनांक 02 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 15/01/2007-डीजीएडी द्वारा जारी किये गये थे। केंद्र सरकार ने 06 जनवरी, 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 04/2009-सीमा शुल्क जारी की और पांच वर्षों की आगे की अवधि अर्थात 05 जनवरी, 2014 तक के लिए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखा।

4. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग से आवेदन पत्र के आधार पर दिनांक 6 जनवरी, 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 04/2009-सीमा शुल्क द्वारा लगाये गये शुल्क की समाप्ति से पूर्व प्राधिकारी ने 3 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/24/2013-डीजीएडी द्वारा दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। समीक्षा होने तक के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 07/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा 05 जनवरी, 2015 तक और उस तिथि सहित बढ़ाई गई थी।

5. दिनांक 02.07.2015 की अधिसूचना संख्या 15/24/2013-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय फ्लोट ग्लास के आयातों पर लगाये गये 218 अमेरिकी डॉलर/मी. टन की दर पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क वापस लेने की भी सिफारिश की। उपर्युक्त सिफारिश वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए 08 सितंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 47/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लागू की गई थी।

**विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)**

6. दिनांक 02.07.2015 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/24/2013-डीजीएडी में प्राधिकारी ने उत्पाद क्षेत्र अथवा विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित रूप में प्रकाशित किया:

*"क्लीयर तथा टिंटेड वैरायटी (ग्रीन ग्लास को छोड़कर) के 2 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर मोटाई के फ्लोट ग्लास (दोनों मोटाई सहित), परंतु उनमें सजावटी, औद्योगिक अथवा स्वचालित प्रयोजनों के लिए बने रिफ्लैक्टिव ग्लास, प्रसंस्कृत ग्लास शामिल नहीं हैं।"*

7. दोनों साधारण फ्लोट ग्लास और एक्स्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में "ग्लास एंड ग्लासवेयर" श्रेणी के तहत तथा सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार 7005 के तहत वर्गीकृत हैं।

**समीक्षाधीन उत्पाद(पीयूआर)**

8. आवेदक ने "ईसीएफजी" को अलग करने की मांग करने की एक सीमित मध्यावधि समीक्षा का अनुरोध दायर किया है जिसमें यह दावा किया है कि उपर्युक्त उत्पाद 02.07.2015 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/24/2013-डीजीएडी में परिभाषित उत्पाद क्षेत्र का भाग नहीं बनता।
9. आवेदक ने ईसीएफजी को निम्लिखित रूप से परिभाषित किया है:
*एक्स्ट्रा क्लीयर, लो आयरन फ्लोट ग्लास के रूप में जो कि व्यावहारिक रूप से आखिरी परत पर दृश्य नगण्य ग्रीनिश टिंट के साथ रंगहीन ग्लास है और जिसमें ग्लास में लोहे की मात्रा कम कर सामान्य रूप से प्राप्त हल्की पारेषण एवं पारदर्शिता की अधिक मात्रा है, एक्स्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास को बाजार में "अल्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास" अथवा "लो आयरन फ्लोट ग्लास" के रूप में भी जाना जाता है (*जिसे यहां "समीक्षाधीन उत्पाद" कहा गया है (पीयूआर))।

10. आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि ईसीएफजी और साधारण फ्लोट ग्लास उनकी भौतिक और तकनीकी विशेषताओं की दृष्टि से काफी भिन्न हैं। यह दावा किया गया है कि ईसीएफजी सामान्य फ्लोट ग्लास की अपेक्षा अधिक दृश्यमान लाइट ट्रांसमिशन प्रदर्शित करता है जो सामान्यतया ग्लास में लौह की मात्रा कम करके प्राप्त किया जाता है। ईसीएफजी अथवा लो आयरन ग्लास ग्रीन टिंज के बिना अल्ट्रा क्लीयर हैं जबकि क्लीयर फ्लोट ग्लास परत पर थोड़ी सी हरी टिंज द्वारा प्रभावित होता है। आवेदक द्वारा यह भी दावा किया गया है कि ईसीएफजी क्लीयर फ्लोट ग्लास की अपेक्षा अधिक पारदर्शिता की मात्रा प्रदान करता है और रोशनी की अधिक प्रतिशतता प्रदान करता है जो लो आयरन ग्लास के माध्यम से गुजरती है और उसी मोटाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास की अपेक्षा अधिक है। एक्स्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास में वहां अनुप्रयोग होता है जहां सोलर पैनलों, लाइट फिक्सचर के लिए ग्लास, देखने की शीशे, स्पेस ऐप्लिकेशन आदि जैसे की उच्च रोशनी पारेषण अथवा अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता होती है।

**समीक्षा के लिए आधार**

11. मध्यावधि समीक्षा के लिए वर्तमान आवेदन पत्र पहले से ही लगाये गये पाटनरोधी शुल्क में शामिल उत्पाद क्षेत्र में उपयुक्त संशोधन की मांग करते हुए दायर किया गया है। दिये गये तर्कों के आधार निम्नलिखित हैं:

i. ईसीएफजी अथवा लो आयरन ग्लास वास्तविक रूप से देखने में भिन्न हैं क्योंकि ईसीएफजी अल्ट्रा क्लीयर है जबकि क्लीयर फ्लोट ग्लास हल्की ग्रीन टिंज द्वारा प्रभावित होता है।

ii. क्लीयर फ्लोट ग्लास की तुलना में ईसीएफजी में रोशनी पारेषण की अधिक मात्रा होती है।

iii. ईसीएफजी अथवा अल्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास उत्पाद में मानक क्लीयर फ्लोट ग्लास की तुलना में 75 प्रतिशत कम लौह की मात्रा होती है। सिलिका रेत में विशिष्ट लौह मात्रा लगभग 650 पीपीएम से 850 पीपीएम में सीएफजी के लिए प्रयुक्त की जाती है जबकि ईसीएफजी के लिए वह लगभघ 100 पीपीएम से 200 पीपीएम तक है। सिलिका रेत में विद्यमान अधिकतर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ईसीएफजी के निर्माण के लिए घटा दी जाती है।

iv. ईसीएफजी के लिए एक पृथक बीआईएस मानक का प्रस्ताव किया गया है।

v. घरेलू उद्योग ने मूल जांच के समय तथा अंतिम निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्ष तक एक्स्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास का उत्पादन नहीं किया। आवेदकों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, घरेलू उद्योग ईसीएफजी की काफी मात्राओं का आयात कर रहा है और उन्हें भारत में पुनः बेचता है।

vi. चूंकि, ईसीएफजी का उत्पादन न तो भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा किया गया था और न ही मूल जांच के समय भारत में उनका आयात किया गया था। अतः विद्यमान उपाय ईसीएफजी को शामिल नहीं करते।

vii. ईसीएफजी की आयात कीमतें सीएफजी की आयात कीमतों से काफी अधिक हैं जो यह दर्शाती हैं कि वे बाजार स्थल पर एक दूसरे के लिए स्थानापन्न नहीं हैं।

viii. ईसीएफजी और क्लीयर फ्लोट ग्लास विश्व भर में कंपनियों द्वारा भिन्न-भिन्न रूप से विज्ञापित किये जाते हैं और बाजार अवधारणा भी पूर्णतः भिन्न है।

ix. आवेदक दावा करते हैं कि ईसीएफजी का अनुप्रयोग सामान्य सीएफजी अनुप्रयोगों से पूर्णतः भिन्न है। यह भी दावा किया जाता है कि कई अनुप्रयोग सीएफजी के प्रकार्यात्मक एवं कलात्मक सीमाओं के कारण ही ईसीएफजी का प्रयोग कर सकते हैं। यह अनुप्रयोग उन सोलर पैनलों के लिए ग्लास हैं जिनके लिए अधिकतम रोशनी पारेषणों, हल्के फिक्सचरों के लिए ग्लास, देखने के ग्लास, स्पेस ऐप्लिकेशन आदि की आवश्यकता होती है।

x. सेसटेट, अहमदाबाद ने दिनांक 05.07.2019 के आदेश संख्या ए/11068-11069/2019 द्वारा माना है कि "एक्स्ट्रा क्लीयर ग्लास" क्लीयर फ्लोट ग्लास की तुलना में ग्लास की एक भिन्न श्रेणी है और परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकाला कि सीएफजी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क देय नहीं है।

xi. ईसीएफजी को अन्य क्षेत्राधिकारों से अलग किया गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जहां लो आयरन ग्लास (अथवा एक्स्ट्रा क्लीयर फ्लोट ग्लास) सहित कई किस्में 3 से 12 मिलीमीटर (एम.एम.) की सामान्य मोटाई में क्लीयर फ्लोट ग्लास पर पाटनरोधी उपायों के क्षेत्र से अलग की गई थीं।

xii. आवेदक ने दावा किया है कि ईसीएफजी पर पाटनरोधी शुल्क लगाना उसके व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क ईसीएफजी के आयातों पर लगाया जा रहा है। यद्यपि, कोई घरेलू विकल्प बाजार में उपलब्ध नहीं है।

**<u>प्रक्रिया</u>**

12. लागू उपाय की समीक्षा आवश्यक होने की परिस्थितियां दर्शाते हुए आवेदक द्वारा दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए अब प्राधिकारी यह मानते हैं कि दिनांक 02 जुलाई, 2015 की संख्या 15/24/2013-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र तक सीमित, 08 सितंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 47/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिसूचित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा उपर्युक्त नियमावली नियम 23 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9(क) के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक महालक्ष्मी डाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड ने मध्यावधि समीक्षा की प्रथम दृष्टया आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिये हैं।

13. तद्नुसार, प्राधिकारी लागू पाटनरोधी उपायों के तहत विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र तक सीमित, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कतिपय फ्लोट ग्लास" पर लगाये गये निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू करते हैं। इस समीक्षा में दिनांक 02 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/24/2013-डीजीएडी के सीमित पहलू और दिनांक 08 सितंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 47/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाये गये निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क शामिल हैं।

**<u>शामिल देश</u>**

14. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

**<u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>**

15. चूंकि, यह आवेदन पत्र विचाराधीन उत्पाद की खास किस्म को हटाये जाने के सीमित प्रयोजन के लिए है, अतः प्राधिकारी पाटन अथवा क्षति की मात्रा का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव नहीं करते। इसलिये जांच की अवधि का निर्धारण अपेक्षित नहीं है।

**<u>सूचना प्रस्तुत करना</u>**

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, संबद्ध सामानों से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से सभी संगत सूचना दायर कर सकें।

17. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं।

सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाएं:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी,**
**व्यापार उपचार महानिदेशालय,**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,**
**वाणिज्य विभाग, भारत सरकार,**
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**
**नई दिल्ली 110001**

18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध करायें।

**<u>समय-सीमा</u>**

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह में प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित(हितों की प्रकृति सहित)सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने उत्तर/टिपण्णी दायर करें।

**<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>**

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है।

22. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप मे स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रुपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी, प्रत्येक के दो (2) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।

23. गोपनीय रुपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा

किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

24. अगोपनीय रुपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।

25. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।

26. किसी सार्थक अगोपनीय रुपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

27. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

**सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

28. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना अथवा साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

**असहयोग**

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस.भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

## INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2020

**MTR Case No. 01/2020**

**Subject: Initiation of Mid-Term Review to review the product scope of definitive Anti-Dumping duty imposed on Certain Float Glass and articles thereof originating in or exported from China PR.**

**No. 07/04/2020-DGTR** 1. Mahalaxmi Dyes & Chemicals Ltd (hereinafter also referred to as the 'Petitioner' or 'Applicant') has filed a mid-term review application seeking exclusion of 'Extra Clear Float Glass' (hereinafter referred to as 'ECFG' or 'product under review') from the purview of anti-dumping duty imposed on imports of "Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes" (hereinafter also referred to as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC" ) from China PR (herein after also referred to as subject country). Anti-dumping duty on EFCG from China PR is presently imposed vide Notification No. 47/2015-Customs (ADD) dated 8th of September 2015, and Anti-dumping duty is in force till 7th September, 2020.

**Background:**

2. Vide initiation notification No. 14/19/2002-DGAD dated 05th July, 2002, Designated Authority initiated an antidumping investigation concerning import of "Certain Float Glass", originating in or exported from China PR and Indonesia. The Preliminary Findings were issued by the Authority, vide Notification No. 14/19/2002-DGAD dated 20th November, 2002 and provisional duty was imposed by the Central Government, vide Notification No. 7/2003-Customs, dated 7th January, 2003. The Final Findings were issued by the Authority vide Notification No. 14/19/2002-DGAD, dated 22nd August, 2003 recommending anti-dumping duty on imports of 'Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes' from China PR and Indonesia. Central Government accepted the recommendation and imposed definitive anti-dumping duty vide Notifications No. 165/2003-Customs, dated 12th November, 2003 for a period of five years from the date of provisional duty imposition.

3. Before expiry of the said duty, based upon an application from the domestic industry, Designated Authority conducted the first sunset review. Upon investigation, the Final Findings were issued by the Authority vide Notification No. 15/01/2007- DGAD dated 02nd December 2008 recommending continuation of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR and Indonesia. Central Government issued Customs Notification No. 04/2009-Customs dated 06th January, 2009 and continued anti-dumping duty on the imports of the above goods, originating in or exported from the subject countries for a further period of five years i.e., up to 5th January 2014.

4. Further, before the expiry of the duty imposed vide Customs Notification No. 04/2009-Customs dated 06th January, 2009, based upon an application from the domestic industry, the Authority initiated the second sunset review investigation vide Notification No. 15/24/2013-DGAD dated 3rd January, 2014. During the pendency of the review, the validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries was extended by the Central Government up to and inclusive of 5th day of January 2015, vide Notification No. 07/2014-Customs (ADD)

dated 23rd January, 2014.

5. Vide Final Finding issued vide Notification No. 15/24/2013-DGAD dated 02.07.2015, the Designated Authority recommended continuation of definitive anti-dumping duty at the rate of USD 218/MT imposed on imports of Certain Float Glass, originating in or exported from China PR. The Designated Authority also recommended withdrawal of anti-dumping duty against Indonesia. The said recommendation was implemented by Ministry of Finance vide Notification No. 47/2015-Customs (ADD) dated 8th of September 2015 for a period of five years from the date of the notification.

**<u>Product under Consideration (PUC):</u>**

6. In the Final Findings- Notification No: 15/24/2013-DGAD dated 02.07.2015, the Designated Authority defined the product scope or PUC as under:

*"Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes."*

7. Both ordinary Float Glass and Extra Clear Float Glass are classified under the category "Glass and Glassware" in Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7005 as per Customs Classification.

**<u>Product under review (PUR)</u>**

8. The applicant has filed a limited mid-term review request seeking exclusion of 'ECFG' claiming that the said product does not from part of the product scope as defined in Final Findings- Notification No: 15/24/2013-DGAD dated 02.07.2015.

9. The Applicant has defined ECFG as:

*Extra clear, low-iron float glass, which is practically a colourless glass with negligible greenish tint visible on the edge and having a higher degree of light transmission and transparency achieved usually by reducing iron content in the glass. Extra clear float glass is also known in the market as 'Ultra Clear Float glass' or 'Low Iron Float Glass'* (also referred to as product under review (PUR)).

10. It has been submitted by the Applicant that ECFG and ordinary Float Glass are significantly different in terms of their physical and technical characteristics. It has been claimed that ECFG exhibits higher visual light transmission than normal float glass, which is achieved usually by reducing iron content in the glass. ECFG or low iron glass is ultra-clear without a green tinge whereas Clear float glass is affected by a slight green tinge at the edges. It has also been claimed by the Applicant that ECFG provides a higher degree of transparency than clear float glass and the percentage of light that passes through low iron glass is greater than clear float glass of the same thickness. Extra clear float glass finds application where high light transmission or high transparency is required such as solar panels that require maximum light transmissions, glass for light fixtures, viewing glasses, space applications, etc.

**<u>Grounds for Review:</u>**

11. The present application for mid-term review has been filed seeking appropriate modification in the product scope covered in the anti-dumping duty already levied. The grounds pleaded are as follows:

i. ECFG or low iron glass are different in physical appearance as ECFG is ultra-clear whereas Clear float glass is affected by a slight green tinge.

ii. There is higher degree of light transmission in ECFG as compared to Clear Float Glass.

iii. ECFG or ultra-clear float glass product contains 75% less iron content as compared to standard clear float glass. The typical iron content in silica sand used for CFG in around 650 ppm to 850 ppm whereas for ECFG, it is around 100 ppm to 200 ppm. Most of the iron oxide content present in silica sand is removed for manufacturing ECFG.

iv. A separate BIS standard has been proposed for ECFG.

v. Domestic Industry did not produce Extra Clear Float Glass at the time of original investigation as well as until the conclusion of last sunset review investigation. According to the information available with the applicants, the domestic industry is importing significant quantities of ECFG and reselling them in India.

vi. Since ECFG was neither produced by the Indian domestic industry nor imported into India at the time of original investigation, the existing measures do not cover ECFG.

vii. Import prices of ECFG are significantly higher than that of CFG, indicating that they are not substitutes for each other in the market place.

viii. ECFG and Clear Float Glass is advertised differently by companies worldwide and market perception is also quite different.

ix. Applicant claims that application of ECFG is completely different from normal CFG applications. It is further claimed that several applications can only use ECFG due to the functional and aesthetic limitations of CFG. Such applications are glass for solar panels that require maximum light transmissions, glass for light fixtures, viewing glasses, space applications, etc.

x. CESTAT Ahmedabad vide order no. A/11068-11069 /2019 dated 05.07.2019 has held that “Extra Clear glass” is altogether a different variety of glass as compared to Clear Float glass and as a result, concluded that anti-dumping duty is not payable on imports of ECFG.

xi. ECFG has been excluded by other jurisdictions, such as Australia, wherein number of variants, including low iron glass (or extra clear float glass) were excluded from the scope of anti-dumping measures on Clear Float Glass in nominal thicknesses of 3 to 12 millimeters (mm).

xii. Applicant has claimed that levy of anti-dumping duty on ECFG is adverse affecting his business as anti-dumping duty is being levied on imports of ECFG though no domestic alternative is available in the market.

**Procedure**

12. Having regard to the information provided by the Applicant indicating circumstances necessitating a review of the measure in force, the Authority now considers that a mid-term review of Anti dumping duty, recommended vide Final Findings No 15/24/2013-DGAD dated 2$^{nd}$ July 2015, and notified vide Notification No. 47/2015-Customs (ADD) dated 8$^{th}$ of September 2015, limited to examining the scope of the PUC, is appropriate in terms of the provision of Section 9(A) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the Rules supra. The Authority also notes that the Applicant Mahalaxmi Dyes & Chemicals Ltd has provided sufficient evidence to prima facie establish the need for a mid-term review.

13. Accordingly, the Authority, hereby, initiates a mid- term review of definitive Anti-Dumping Duty imposed on ‘Certain Float Glass’ originating in or exported from China PR, limited to examining the scope of the PUC. The review covers limited aspects of Notification No. 15/24/2013-DGAD dated 2nd July 2015 and the definitive anti-dumping duty imposed by Notification No. 47/2015-Customs (ADD) dated 8th of September 2015.

**Countries Involved**

14. The country involved in the present investigation is China PR.

**Period of Investigation (POI)**

15. Since the application is for a limited purpose of exclusion of a certain type of product under consideration, the Authority does not propose to evaluate either the quantum of dumping or injury, hence, stipulation of a POI is not required.

**Submission of information**

16. The known exporters in the subject countries and their Governments through their embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time- limit set out below.

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

The information/submission may be submitted to:

**The Designated Authority,**
**Directorate General of Trade Remedies,**
**Ministry of Commerce & Industry,**
**Department of Commerce, Government of India,**
**4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street,**
**New Delhi-110001**

18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**Time Limit**

19. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their responses/comments within the above time limit.

**Submission of information on confidential basis**

21. The parties making any submission (including Appendices / Annexure attached thereto), before the authority, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof.

22. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non- confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

23. The confidential version shall contain all information, which is by nature confidential and/or other information, which the supplier of such information claims, as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

27. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

28. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing

non-confidential version of the information or evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

29. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Add. Secy. and Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.11 21:29:30 +05'30'